

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज 0)

क्रमांक/स्था0/ 45/2023/

दिनांक:

6 JUN 2023

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कर्मचारीगण के सामने कॉलम संख्या-4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है:-

| क्र 0<br>सं 0 | नाम कर्मचारी मय पद                       | मूल पदस्थापन न्यायालय                                                                                       | प्रतिनियुक्ति न्यायालय                   |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 01            | 02                                       | 03                                                                                                          | 04                                       |
| 1-            | श्री अतरसिंह सिनसिनवार<br>वरिष्ठ मुंसरिम | वि0 न्या0 लैंगिक अपराधों से<br>बालकों का संरक्षण अधि0 एवं<br>बालक अधिकार संरक्षण आयोग<br>अधिनियम सं0-1 अलवर | अपर जिला एवं सेशन न्यायालय<br>लक्ष्मणगढ़ |
| 2-            | श्री सुनील कुमार चौधरी<br>प्रोसस सर्वर   | अपर जिला एवं सेशन न्यायालय<br>सं.1 बहरोड                                                                    | ग्राम न्यायालय नीमराणा                   |

- नोट:- (1) कार्यालय आदेशों की पालना अविलम्ब की जाये।  
(2) कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अलवर।

क्रमांक/स्था0/2023/ 19784-794

दिनांक 26 JUN 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- वि0 न्या0 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम सं0-1 अलवर
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़/सं.1 बहरोड
- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नीमराणा
- सम्बन्धित कर्मचारी श्री-----
- लेखा शाखा/व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली
- सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अलवर।